



2026:AHC:128857

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 20033 वर्ष 2026

प्रदीप

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता :जितेन्द्र सिंह

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 17 वर्ष 2026 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2), 351(3), 126(2), 191(1), 191(2), 191(3), 190 एवं 3(5) तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत, थाना-गढ़िया रंगीन, जनपद-शाहजहाँपुर से संबंधित प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक प्रदीप तथा सह-अभियुक्त संजीत एवं सुरजीत के विरुद्ध आग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने का आरोप लगाया गया है। तत्पश्चात, सूचक, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों तथा घायल ने आग्नेयास्त्र से चोट पहुँचाने का विशिष्ट आरोप सह-अभियुक्त संजीत एवं सुरजीत के विरुद्ध लगाया। प्रथम सूचक तथा घायल के कथनों में मृतक वीरेश को चोट पहुँचाने का कोई दायित्व आवेदक को नहीं सौंपा गया है। आवेदक के कब्जे अथवा उसके निशानदेही पर कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त विपिन, अवधेश सिंह, नरेश तथा चन्दन को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लाठी एवं डंडे से मृतक तथा घायल को चोट पहुँचाने की भूमिका सौंपी गई थी। उक्त सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। सह-अभियुक्त विपिन के जमानत आदेश की प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का मामला उपर्युक्त सह-अभियुक्तों संजीत एवं सुरजीत के मामले से भिन्न है, जिनके विरुद्ध गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त विपिन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 09.04.2026 को पारित आदेश, आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 12121 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में आरोप-पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा वह दिनांक 16.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त विपिन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त विपिन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 16.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।

7. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त **आवेदक-प्रदीप** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु वाद नियत होगा और गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के प्रारंभ, (2) आरोप निर्धारण के समय तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, जमानत निरस्त किए जाने का यह एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

24 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।